



कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/

जबलपुर, दिनांक / /2020

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की योजना क्र. 11 (शताब्दीपुरम) अंतर्गत 48 नग एमआईजी प्लेट्स के विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल www.mponline.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

देखें अपूर्व- रजि.नं. -P-JBP-20-2756

क्र.	सम्पत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (व.फु. में) (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय कीमत (लाख में)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10 %)
योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (भवन) ब्लॉक - ए						
1	A-3, A-6, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-16	आवासीय	1025	अनारक्षित	41.80	4,18,000
2	A-1, A-5	आवासीय	1025	अनुसूचित जाति	41.80	4,18,000
3	A-14, A-15	आवासीय	1025	अनुसूचित जनजाति	41.80	4,18,000
4	A-2	आवासीय	1025	पिछड़ा वर्ग	41.80	4,18,000
5	A-7	आवासीय	1025	प्राधिकरण कर्मचारी	41.80	4,18,000
6	A-4	आवासीय	1025	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	41.80	4,18,000
योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (भवन) ब्लॉक - सी						
7	B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, B-14, B-15, B-16	आवासीय	1025	अनारक्षित	41.80	4,18,000
8	B-9, B-13	आवासीय	1025	अनुसूचित जाति	41.80	4,18,000
9	B-1, B-5	आवासीय	1025	अनुसूचित जनजाति	41.80	4,18,000
10	B-6	आवासीय	1025	पिछड़ा वर्ग	41.80	4,18,000
11	B-3	आवासीय	1025	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/लोकतंत्र सेनानी	41.80	4,18,000
12	B-2	आवासीय	1025	दिव्यांग	41.80	4,18,000
13	B-4	आवासीय	1025	अनारक्षित महिला	41.80	4,18,000
14	C-1, C-2, C-4, C-5, C-6, C-11, C-12, C-16	आवासीय	1025	अनारक्षित	41.80	4,18,000
15	C-14	आवासीय	1025	अनुसूचित जाति	41.80	4,18,000
16	C-9, C-13, C-15	आवासीय	1025	अनुसूचित जनजाति	41.80	4,18,000
17	C-10	आवासीय	1025	पिछड़ा वर्ग	41.80	4,18,000
18	C-8	आवासीय	1025	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाधिकारी	41.80	4,18,000
19	C-7	आवासीय	1025	पत्रकार	41.80	4,18,000
20	C-3	आवासीय	1025	दिव्यांग	41.80	4,18,000

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/लोकतंत्र सेनानी श्रेणी में स्व.सं.सेनानी/लोकतंत्र सेनानी स्वयं अथवा उनके जीवित न होने की दशा में उनके पति/पति ही आवेदन करने के लिये पात्र हैं।

प्रक्रिया:- 1. योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.jdajabalpur.org एवं www.mponline.gov.in पर उपलब्ध। 2. ऑनलाईन आवेदन फार्म पोर्टल फीस (रु. 1000.00 एवं जीएसटी) ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर दिनांक 07.12.2020 से 05.01.2021 तक तक क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं बिड दिनांक 06.01.2021 तक सबमिट की जा सकती है।

2. बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 7 में अंकित बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑफर दिनांक **07.01.2021** को ऑनलाईन ही उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष दोपहर **12:00 बजे** प्राधिकरण कार्यालय में खोले जावेंगे।

1. **अन्य नियम एवं शर्तें:**— (1) संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि पर किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक भूभाटक के रूप में देय होगी। (2) सम्पत्ति कय के पूर्व स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा। (3) किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर मान्य नहीं होगा। (4) आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं शपथ-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। (5) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा जाति प्रमाण पत्र, आई.डी.प्रूफ की मूल प्रति कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (6) संपत्ति की शेष राशि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना होगा। आवंटी द्वारा मांग करने पर अधिकतम 8 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी, ऐसी किस्तों पर 10 प्रतिशत दर से ब्याज देय होगा। (7) किस्त राशि विलंब से जमा करने पर विलंबित अवधि पर 15 प्रतिशत दर से ब्याज देय होगा। प्रत्येक आवंटी से रखरखाव करना होना चार्ज के नाम से भवन मूल्य से पृथक 50,000.00 प्रत्येक भवन के मद में प्राधिकरण द्वारा अलग से जमा कराया जाकर क्रेताओं द्वारा समिति बना लेने के उपरांत नियमानुसार यह राशि उन्हें सौंपा दी जावेगी (8) राशि समयसीमा में जमा न करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात की जायेगी, अन्य जमा प्रीमियम राशि की 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष प्रीमियम राशि बिना ब्याज के लौट दी जायेगी। (9) क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हो। (10) विस्तृत नियम एवं शर्तें ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर-आवेदन करें। (11) ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित सम्पत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (12) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय-समय पर जारी शासनादेश तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तें आवेदक को मान्य होंगी। (13) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर